[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 4/2017- सेवा कर

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी, 2017

सा.का.नि. (अ), वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होतु हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012, जिसे सा.का.नि. 468 (अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, यथा :-

1. उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में, सारणी में, क्रम सं. 11 और उससे संबधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"11	टूर ऑपरेटर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं	60	(i) कर वाली सेवाओं को प्रदान किए जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट न लिया गया हो। (ii) इस उद्देश्य के लिए जारी किए जाने वाले बिल में यह दर्शाया गया हो कि इसमें ऐसे पर्यटन के लिए जरूरी आवास और परिवहन प्रभार शामिल हैं तथा बिल में प्रभारित राशि ऐसे पर्यटन जिसमें आवास और परिवहन प्रभार शामिल हैं, के लिए प्रभारित सकल राशि है"।

2. यह अधिसूचना 22 जनवरी, 2017 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 354/42/2016-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना सं. 26/2012 – सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012 को सा.का.नि. 468 (अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 38/2016-सेवा कर, दिनांक 30 अगस्त, 2016, सा.का.नि. 835 (अ), दिनांक 30 अगस्त, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।